SOUTH CENTRAL RAILWAY SC DIVISION – ALERT ADVICE No. 9/2025

No.sfy-12/SC/AA-09/2025

Sub: Monsoon precautions.

Date: 29.05.2025

Monsoon is about to set in all parts of our territory. It is necessary to ensure precautions as prescribed in Chapter VII, Part 'B'-"Pre-monsoon Precaution" of IRPWM which inter-alia include patrolling of track and vulnerable bridges, availability of reserve materials for restoration, relief girders and other necessary equipment, inspection of RATs and Weather Warning and action to be taken.

The safety precautions to be taken during Monsoon season are reiterated once again for staff guidance. Drainage at all major yards and vulnerable locations should be checked and necessary action should be taken to ensure quick clearance of water during heavy rains. Joint survey of points and crossings should be done periodically and deficiencies noticed should be rectified. The following action may be initiated for smooth and safe running of trains during monsoon period.

- All catch water drains and side drains must be cleared of silt, vegetation and other obstructions to ensure free flow and quick drainage of storm water.
- ➤ Water shall not be allowed to stagnate on the track. For this purpose, cross drains should be provided at regular intervals. In yards, cross drains and longitudinal drains should be cleared/provided to proper grades.
- The waterways of bridges must be cleared of vegetation and other obstructions. If silting is noticed in some spans, it should be removed to ensure that the full waterways are available for the discharge of floodwater.
- Protective and river training works must be maintained in good condition and repairs carried out wherever necessary. Scour holes should be filled with boulders.
- > Spare trolleys should be kept in readiness at the headquarters of the Permanent Way Inspector and at other stations in the proximity of vulnerable locations. Motor Trolleys must be overhauled and kept in fit condition.
- The prescribed reserve stock of boulders, empty cement bags, wire netting and sand/quarry dust should be kept at specified locations for rushing to site in case of emergency, and should be made good in case of deficiency.
- Adequate preparations should be made to face ensuring monsoon period. Proper arrangements for patrolling, watching the vulnerable locations and monsoon reserves should be ensured.

A. Action by SSE / P. WAYs:

- > The Patrol Book shall be serially numbered and handed over to the SM.
- The Patrol book shall contain the vulnerable locations and bridges which shall attract special watch. Copy of Patrol chart issued by Sr. DEN/DEN should also be exhibited in the station and followed scrupulously.
- Ensure that as for as possible that those Patrolmen who are provided with quarters are selected for patrolling.
- Also, ensure that another Trackman is arranged if the nominated Patrolman does not turn up for patrolling for any reason. Ensure that equipment, protective clothing and consumables are procured.

- > The men selected for patrolling duties shall have adequate knowledge of patrolling rules for protection in case of necessity.
- > Check the equipment of Patrolman once a fortnight as per the list given in Para 3 of Appendix IV of G&SR and inspect the track by proceeding on trolley.

B. Station Masters:

- > On receipt of weather warning message from the SCOR, ensure the same is advised to ADENs, SSE/JE-P.Way, SE/OHE and others either telephonically or through a messenger under clear acknowledgement with date & time. The same shall be recorded/pasted in the prescribed weather warning Register.
- Make red ink entries in TSR & Station Diary about the name, designation and time of departure/arrival of the night Patrolman. Intimate the SCOR about its details.
- > If, for any reason the Night Patrolman has not returned from the block section as per his beat chart, wait for 15 minutes and start issuing emergency caution order to all trains observes an SR of 40 KMPH.
- > At frequent intervals, check the essential equipment of the Night Patrolman as per the list given under Para 3 of Appendix IV of G&SR.
- > Do not sign the beat book in advance and do not make all entries after the completion of the night.
- When there is a reasonable doubt that severe storm is going to break out endangering the safety of passengers, trains, etc., in consultation with the train crew, regulate the train at the station until storm abates.

C. Loco Pilots:

- > Stop the train at a convenient place duly taking care not to stop on Bridges, sharp curves etc., if the train is caught in the cyclone storm or strong wind.
- > Train crew with the co-operation of passengers, keep the doors and windows of all coaches are open and allow the winds to pass through.
- > Re-start the train only after the storm and strong winds are abated.
- > When emergency caution order of 40 KMPH is issued by the SM when the night patrolman has not returned from block section, exercise utmost caution and be on the lookout for any unsafe condition observed/reported to stop the train

> Ensure the sanders are filled with sand and they are in working condition while taking over charge of the loco to avoid stalling.

> [A. Suresh] Sr. DSO/SC

[ए. स्रेश]

Copy to:DRM/SC for kind information. ADRM/O/SC and ADRM/I/SC for kind information. All Branch Officers for information and necessary action pl All Field Supervisors for information and necessary action.

<u>दक्षिण मध्य रेलवे</u> <u>सिकंदराबाद मंडल-चेतावनी सूचना सं. 9/2025</u>

सं. एसएफवाई-12/एससी/एए-09/2025

दिनांक: 29.05.2025

विषय:: मानसून पूर्वोपाय.

हमारे क्षेत्र के अधिकांश भागों में मानसून आने वाला है. आईआरपीडब्ल्यूएम के अध्याय VII, भाग 'बी' – "मानसून–पूर्व सावधानी" में निर्धारित सावधानियों को सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ट्रैक और संवेदनशील पुलों की गश्त, बहाली के लिए आरक्षिथ सामग्री की उपलब्धता, राहत गर्डर और अन्य आवश्यक उपकरण, आरएटी का निरीक्षण और मौसम की चेतावनी और की जाने वाली कार्रवाई शामिल है.

कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए मानसून के मौसम में किए जाने वाले संरक्षा पूर्वोपायों को पुन: दोहराया जाता है. सभी प्रमुख यार्डों और संवेदनशील स्थानों में निकास की जांच की जानी चाहिए और भारी वर्षा के दौरान पानी का त्वरित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए. आवधिक रूप से पाइंटों और क्रासिंगों का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और पायी गई कमियों को ठीक किया जाना चाहिए. मानसून समय के दौरान गाड़ियों के सुचारू और सुरक्षित चालन के लिए निम्नलिखित कर्रवाई की जाएगी.

- सभी कैच वाटर ड्रेन और साइड ड्रेन को गाद, वनस्पित और अन्य अवरोधों से मुक्त किया जाना चाहिए तािक पानी का प्रवाह मुक्त रूप से हो और बाढ़ के पानी की त्विरत निकासी हो.
- पानी को रेलपथ पर जमा नहीं होने दिया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए, नियमित अंतरालों पर क्रॉस ड्रेन की सुविधा की जानी चाहिए. यार्डों में, क्रॉस ड्रेन और लॉगिट्यूडिनल नाली को साफ/उचित ग्रेड प्रदान किया जाना चाहिए. पुलों के जलमार्गों को वनस्पति और अन्य अवरोधों से मुक्त रखना चाहिए. यदि किसी भी हिस्से में गाद दिखायी देता है, तो उसे हटाया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाढ़ के पानी के बहाव के लिए पूर्ण जलमार्ग उपलब्ध है.
- सुरक्षात्मक और नदी प्रशिक्षण कार्यों को अच्छी स्थिति में रखा जाए और जहां भी आवश्यक हो मरम्मत की जानी चाहिए. खुरदरे गड्डों को बोल्डरों से भरा जाना चाहिए.
- रेलपथ निरीक्षक के मुख्यालय और अन्य स्टेशनों के संवेदनशील स्थानों के निकट अतिरिक्त ट्रालियों को तैयार रखा जाए.
 मोटर ट्रालियों की मरम्मत की जाए और फिट स्थिति में रखा जाना चाहिए.
- बोल्डर, खाली सीमेंट बैग, वायर नेटिंग और रेत/खदान धूल के निर्धारित रिजर्व स्टॉक, आपात स्थिति के मामलें में साइट पर जाने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर रखा जाना जाहिए तथा कमी होने पर इसकी पूर्ति की जानी चाहिए.
- मानसून की संभावित अवधि का सामना करने के लिए पर्याप्त तैयारियां की जानी चाहिए. गश्त, संवेदनशील स्थानों और मानसून रिजर्वों पर नजर रखने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए.

A. एसएसई/रेलपथ द्वारा कार्रवाई:

- 🕨 पेट्रोल बुक में क्रमिक रूप से अंकित किया जाएगा और स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जाएगा.
- पेट्रोल बुक में संवेदनशील स्थानों और पुलों को समाविष्ठ किया जाएगा जिस पर विशेष नजर रखी जाएगी. वमंइंजी/मंइंजी द्वारा जारी पैट्रोल चार्ट की प्रति को भी स्टेशन में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.
- सुनिश्चित करें कि जहां तक संभव हो क्वार्टरों में रहनेवाला पैट्रोलिंग के लिए चयनित किया जाता है.

- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि, किसी कारण से नामित पैट्रोलमैन, पैट्रोलिंग करने के लिए नहीं आता है तो दूसरे ट्रैकमैन की व्यवस्था की जाती है. सुनिश्चित करें कि उपकरण, सुरक्षात्मक कपड़े और उपभोज्य वस्तुएं खरीदी गयी है.
- प्रेहोलिंग ड्यूटियों के लिए चुने गए व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर सुरक्षा के लिए पैट्रोलिंग नियमों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए.
- सा व स नि के परिशिष्ट IV के पैरा 3 में दी गयी सूची के अनुसार पंद्रह दिन में एक बार पैट्रोलमैन के उपकरणों की जांच की जानी चाहिए और ट्ली पर आगे बढ़ते हुए ट्रैक का निरीक्षण करना चाहिए.

B. स्टेशन मास्टर:

- सेक्शन नियंत्रक से मौसम चेतावनी संदेश प्राप्त होने पर, सुनिश्चित करें कि इसकी सूचना समंइंजी, एसएसई/जेई-रेलपथ, सेइंजी/ओएचई और अन्य को टेलीफोन या मेसेंजर के जिए दी जाती है और उनसे तारीख और समय के साथ स्पष्ठ पावती ली जाती है. इसे निर्धारित मौसम चेतावनी रजिस्टर में रेकार्ड किया जाएगा/चिपकाया जाएगा.
- टीएसआर और स्टेशन डायरी में रात्रि पैट्रोलमैन के नाम, पदनाम और प्रस्थान/आगमन के बारे में लाल स्याही में प्रविष्टियां करें. सेक्शन कंट्रोलर को इसके विवरण के बारे में सूचित करें.
- यदि किसी कारण से, उसके बीट चार्ट के अनुसार पैट्रोलमैन ब्लॉक सेक्शन से वापस नहीं आता है, तो 15 मिनट प्रतीक्षा करें और 40 कि.मी .प्र.घं के गति प्रतिबंध का पालन करने के लिए आपाती सतर्कता आदेश जारी करना आरंभ करें.
- क्रिमिक अंतरालों पर, सा व स नि के परिशिष्ठ IV के पैरा 3 में दी गई सूची के अनुसार रात्रि पैट्रोलमैन के आवश्यक उपकरण की जांच करें.
- बीट बुक में पहले से हस्ताक्षर न करें और रात पूरी होने के बाद सभी प्रविष्टियां न करें.
- जब इस बात का उचित संदेह हो कि गंभीर तूफान आनेवाला है, जिससे यात्रियों, गाडि़यों आदि की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो गाड़ी कर्मीदल के साथ परामर्श करते हुए तुफान रुकने तक स्टेशन में गाड़ी को नियंत्रित करें.

C. लोको पायलट:

- यदि गाड़ी चक्रवाती तूफान या तेज हवा में फंस जाती है, तो यह ध्यान रखें कि गाड़ी पुलों, शार्प कर्व आदि पर नहीं रुकती है और उसे एक सुविधाजनक स्थान पर रोकें.
- गाड़ी कर्मीदल यात्रियों के सहयोग से, सभी कोचों के दरवाजे और खिड़िकयां खुली रखें और हवा को उससे गुजरने दें.
- तूफान और तेज हवा के रुकने के बाद ही गाड़ी को पुन: आरंभ करें.
- ब्लॉक सेक्शन से रात्रि पैट्रोलमैन वापस न आने पर स्टेशन मास्टर द्वारा 40 कि. मी.प्र.घं का आपाती सतर्कता आदेश जारी किया जाता है, तो अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए और गाड़ी को रोकने के लिए देखी गयी/रिपोर्ट की गयी किसी भी असुरक्षित स्थिति के प्रति सजग रहें.
- सुनिश्चित करें कि सैंडर में रेत भरी जाती है और स्टॉलिंग से बचने के लिए लोको का कार्यभार लेते समय वे कार्य स्थिति में हैं.

[ए. सुरेश]

वमंसंधि/सिकं.

[A. Suresh] Sr. DSO/SC

प्रतिलिपि/- मंरेप्र/सिकं को सूचनार्थ. अमंरेप्र/पिर/सिकं और अमंरेप्र/इन्फ्र/सिकं को सूचनार्थ. सभी शाखा अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए. सभी फिल्ड पर्यवेक्षकों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए.